श्री श्याम जन कल्याण सेवा संस्था
का आदर्श 'संगम ज्ञापन'

1. सोसाइटी का नाम : **श्री श्याम जन कल्याण सेवा संस्था**

मैमो नं0 **2022-08-003157**

दिनांक 13.06.2022

2. सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर होगा:

C/o जयवीर S/o रामकुवार, 69-ए, गांव भमबेवा, जिला झज्जर

3. अधिकारिता: सोसाइटी हरियाणा राज्य के क्षेत्र में कार्य करेगी ।

4. सोसाइटी के लक्ष्य तथा उद्देश्य:

1. समाज कल्याण से संबंधित क्रियाक्लापों का गांव में आयोजन करना व सामज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना व सामाजिक अवसरों पर जन सुविधाओं के लिए सार्वजनिक स्थान की व्यवस्था करना ।
2. धार्मिक स्थलों पर मुफ्त भोजन (भण्डारा), चिकित्साा शिवरों का आयोजन करना और निशुल्क दवाईयां देना ।
3. समय-समय पर विशेष शुभ अवसरों पर व त्यांहारों आदि पर धर्म कीर्तन, भजन, उपदेश, सत्संग, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्य इत्यादि करवाना । धर्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए धार्मिक जुलुस, झाकियां, प्रभात-फेरियों का अयोजन करना ।
4. पुजारियों व साधु सन्तों की सेवा व समय समय पर भण्डारे का आयोजन करना
5. समाज सुधार के कार्यक्रमों जैसे वृक्षारोपण, परिवार कल्याण स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा आदि को बढ़ावा देना।
6. गरीब व जरूरतमन्द स्त्रियों के घरेलू जीवन को सुधारने के लिए शिक्षा तथा साहित्य का प्रबन्ध करना।
7. नशा उन्नमूलन एवं एडस की रोकथाम के लिए कार्यशालाओं एवं सेमीनार का आयोजन करना एवं युवाओं को जागृत करना ।
8. समाज में बढ़ते अन्याय के खिलाफ समाज में जागरूकता लाना ।
9. एडस और एच.आई.वी. के बारे में जागरूकता शिविर का आयोजन करना व रोकथाम के बारे में बताना।
10. आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण तकनीकि एवं गैर तकनीकि संबंधित शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना ।

GOVT. OF INDIA NOTARY Sandeep Mittal Regn. No. 4511 Area Rohtak

Distt. Registrar of Societies Department of Industries & Commerce Haryana GOVT. OF HARYANA

प्रधान | महासचिव | कोषाध्यक्ष

11. स्त्रियों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रशिक्षण एवं रोजगार केन्द्र चलाना तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र चलाना ।
12. अपंग बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करना।
13. गरीब लड़कियों की शादी करवाना।
14. निःशुल्क शिक्षा और सिलाई केन्द्र की स्थापना करना।
15. बाल विकास कार्यक्रम चलाना ।
16. भूमिगत पानी के अधिक दोहन के कारण पानी को बचाने के लिए वर्षा के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर पानी का बचाव करना ।
17. कम्यूनिटी सैंटर चलाना व वृद्धाश्रम खोलना ।
18. राष्ट्रीय एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा मैत्री को बढ़ावा देना ।
19. धूम्रपान, शराब तथा मादक द्रव्य उपयोग के विरूद्ध निषेध के हेतु कार्य करना तथा लोगों का आन्दोलन प्रारम्भ करना ।
20. सामाजिक बुराई जैसे कि मादा भ्रूण हत्या, दहेज, शादी आदि के सामाजिक उत्सवों पर फिजूल खर्च, निर्णय इत्यादि लेने में महिलाओं को सशक्त करने में जागरूकता सृजित करना तथा सम्बोधित करना ।
21. विशेष रूप से जल संरक्षण, स्वच्छतता, कम लागत आवास, कृषि तथा पशुपालन तथा इंजीनियरिंग स्त्रोत के क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी (लागत कमी, उत्पादकता सुधारने इत्यादि) के लिए तकनीक तथा प्रोद्योगिकों के लागूकरण सहित ग्रामीण विकास की प्रगति की गति बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना ।
22. पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तथा पिछली लापरवाही के कारण विकृत प्राकृतिक साधनों के पुनरूद्वार के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना
23. ऊर्जा की अक्षय स्त्रोत वाली प्रणाली सहित उचित प्रोद्योगिकी को प्रोत्साहन देना तथा विस्तार करना ।
24. ऐसे कार्यक्रम आरम्भ करना जिसमें विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी महिलाओं के जीवन, कार्य स्थिति को सुधारने तथा [illegible] नियोजन के लिए अवसरों मे मुख्य भूमिका हो [illegible]
25. सूचना तथा संचार प्रद्योगिकी का प्रयोग करने सहित पारदर्शी रीति में नागरिक सेवाओं को प्रदान करने में लगाना ।
26. आर्थिक तथा सामाजिक परियोजनाओं के संघटन मूल्यांकन को प्रारम्भ करना

NOTARY • GOVT. OF INDIA • Sandeep Mittal Regn. No. 4594 Area District

Distt. Registrar of Societies ★ Department of Industries & Commerce, Haryana ★ GOVT. OF HARYANA

प्रधान महासचिव कोषाध्यक्ष

27. ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ करना जो सोसाइटी के कमजोर वर्गो, विशेष रूप से योजना में हिस्सेदार शामिल करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले तथा महिलाओं के आय स्तरों को बढ़ाना तथा रोजगार अवसरों का विस्तार करना, प्रारम्भ गतिविधियों का लागूकरण तथा अनुरक्षण सुनिश्चित करना।

28. समाज के अलाभ वर्ग को संगठित करना तथा सरकारी/गैर सरकारी कार्यक्रमों विधिक उपबन्धों इत्यादि के अधीन उनके कार्यक्रम विषयों तथा सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी के उनके स्तर को बढ़ाने के लिए तथा सहकारी तथा समूह कार्यवाही को उन्नत करते हुए उनकी सौदाकारी शक्ति को भी बढ़ाने के लिए कदम उठाना ।

29. शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, 1986 में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार सभी औपचारिक तथा गैर औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ करना ।

30. खेल तथा स्वास्थ्य ध्यान गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कार्य करना ।

31. दान या अनुदान या अंशदान के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, गैर सरकारी अभिकरणों, धर्मार्थ न्यासों से या सार्वजनिक तथा निजी वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेते हुए निधियां लेना या सम्पति अर्जित करना । सोसाइटी के वर्तमान तथा भविष्य की निधियां, सम्पत्तियां, परिसम्पति तथा सभी अन्य साधनों का उपरोक्त यथा कथित सोसाइटी के किसी या सभी प्रयोजनों व उद्देश्यों के लिए तथा सच्चाई व अहिंसा के आदर्शो के प्रोत्साहन में सभी अन्य समरूप गतिविधियों के लिए भी उपयोग किया जाएगा ।

32. गरीब व बूढ़े लोगों की हर तरह से सहायता करना।

33. ब्लड बैंक का प्रोविजन करना ।

34. बॉडी चैक-अप कैम्प लगाना ।

35. आंखों का चैक-अप कैम्प लगाना ।

36. जरूरमंदों को फ्री दवाई दिलवाना ।

37. अपंग बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करना।

38. गरीब लड़कियों की शादी करवाना।

39. निःशुल्क शिक्षा और सिलाई केन्द्र की स्थापना ।

40. बाल विकास कार्यक्रम चलाना ।

41. कम्यूनिटी सैंटर चलाना व वृद्धाश्रम खोलना ।

NOTARY * GOVT. OF INDIA * Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak

Distt. Registrar of Societies Department of Industries & Commerce, Haryana GOVT. OF HARYANA

Gमवीर
प्रधान

Jurbir
महासचिव

ममता
कोषाध्यक्ष

5. शर्ते :

1) सोसायटी की सम्पत्ति तथा आय समिति के हित के लिए खर्च की जायेगी । इसमें से किसी भी सोसायटी की राशि या सम्पत्ति का कोई भी भाग बोनस या डिविडैंड के रूप में नहीं दिया जायेगा ।

2) सभी सदस्य अवैतनिक होगें । कोई भी सदस्य वेतन नहीं लेगा । कार्यकारिणी या आमसभा का कोई भी सदस्य जो समिति के लिए अपनी जेब से खर्च करेगा वह राशि सोसायटी की आय में से सदस्य को दी जायेगी ।
सोसायटी के लिए किसी सदस्य से ली हुई राशि का ब्याज तथा मकान का किराया जो समिति के प्रयोग के लिए लिया गया हो, समिति की आय में से देंगें ।

3) यदि सोसायटी को कोई लाभ होगा या आमदनी होगी वह राशि सोसायटी के हित के लिए खर्च की जायेगी।

4) किसी कारणवश सोसायटी के बंद होने की स्थिति में सोसायटी की जायदाद से देनदारीयां पुरी करने के बाद बची हुई चल व अचल संपत्ती को जिला उपायुक्त या किसी समानांतर उद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जाएगी ।

NOTARY GOVT. OF INDIA Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak

Distt. Registrar of Societies Department of Industries & Commerce, Haryana GOVT. OF HARYANA

प्रधान | महासचिव | कोषाध्यक्ष

5. सोसाइटी के सदस्यों के नाम जिसके प्रबन्धन कार्यों के नियत तथा उपविधियां सौंपी जाती है वे निम्न अनुसार है :-

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	आयु	व्यवसाय	पद	हस्ताक्षर
1.	जयवीर	श्री राम कुंवार	गांव भंभेवा, जिला झज्जर	38	समाज सेवक	प्रधान	
2.	जसबीर	श्री राम कुंवार	गांव भंभेवा, जिला झज्जर	26	समाज सेवक	महासचिव	
3.	ममता	श्री जयबीर	गांव भंभेवा, जिला झज्जर	39	समाज सेवक	कोषाध्यक्ष	
4.	सोनू कुमार	श्री सज्जन सिंह	गांव जहाजगढ़, जिला झज्जर	27	समाज सेवक	सदस्य	

NOTARY * GOVT. OF INDIA * Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान   महासचिव   कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	आयु	व्यवसाय	पद	हस्ताक्षर
5.	अनिल	श्री गोलू	1073, मैन गली, बारी बस्ती, जॉन्टी, दिल्ली	31	समाज सेवक	सदस्य	Anil
6.	अनिल	श्री महेन्द्र सिंह	गांव पहरावर, जिला रोहतक	39	समाज सेवक	सदस्य	अनिल
7.	दिलावर	श्री मदान सिंह	गांव जहाजगढ़, जिला झज्जर	26	समाज सेवक	सदस्य	दिलावर

गवाही :

मैं उपरोक्त सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को जाति तौर से जानता हूँ तथा सभी ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये है।

Deepak

दिनांक :........................ नाम व पता 1. दीपक s/o सुभाष
गाँव जमनेबा (झज्जर)

स्थान: .... नाम व पता 2. साहिल s/o ...
गाँव ... जिला झज्जर

NOTARY Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak GOVT. OF INDIA

District Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce Haryana, GOVT. OF HARYANA

प्रधान	महासचिव	कोषाध्यक्ष

ATTESTED
SANDEEP MITTAL
ADVOCATE
NOTARY PUBLIC
ROHTAK

श्री श्याम जन कल्याण सेवा संस्था
के लिए आदर्श उपविधियां

71. सोसाइटी का नाम : **श्री श्याम जन कल्याण सेवा संस्था**

2. **सोसाइटी** का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (पूरा डाक पता):

C/o जयवीर S/o रामकुवार, 69–ए, गांव भमबेवा, जिला झज्जर

3. **सोसाइटी** हरियाणा राज्य के क्षेत्र के भीतर अपनी मुख्य गतिविधियां करेगी ।

4. **सदस्यता :**

(1) समिति में संस्थापक सदस्यों/मूल अंशदाता सहित अधिकतम 1000 सदस्य होंगे ।

(2) पात्रता : सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश किए जाने के उद्देश्य से व्यक्ति :

(क) प्रवेश की तिथि को 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए ।

(ख) समिति के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए ।

(ग) प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करने चाहिए तथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए ।

(घ) दिवालिया तथा विकृत चित नहीं होना चाहिए ।

(ड) एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध का सिद्वदोष नहीं होना चाहिए ।

(3) **सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्ग:** सोसाइटी निम्न अनुसार सदस्यों के चार विभिन्न प्रवर्गो की होगी :-

(क) संस्थापक सदस्य – सदस्य जो सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के समय पर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा सोसाइटी को अपेक्षित सदस्यता फीस का भुगतान कर दिया है। संस्थापक सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी । संस्थापक सदस्य सोसाइटी के आजीवन सदस्य बना रहेगा तथा यदि सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या 1000 से अधिक है, तो निर्वाचन के बिना कॉलिजियम के सदस्य होने के नाते विशेषाधिकार रखेंगे ।

(ख) आजीवन सदस्य – किसी व्यक्ति के विहित फीस के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के लिए सोसाइटी के सदस्य के रूप में बना रहेगा । आजीवन सदस्यों की कुल संख्या 98 से अधिक नहीं होगी ।

(ग) साधारण सदस्य – सोसाइटी में कुल 900 साधारण सदस्य होंगे जो की वार्षिक अंशदान फीस के भुगतान के बकाया में न होने तक केवल अपनी सदस्यता

प्रधान   महासचिव   कोषाध्यक्ष

NOTARY INDIA Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak GOVT. OF INDIA

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana GOVT. OF HARYANA

का निरंतर उपभोग करेंगे । साधारण सदस्य को पदावधि सदस्य के रूप में अर्थात् दो से पांच वर्ष (वर्षो), जैसी भी स्थिति हो, की अवधि के लिए शामिल किया जा सकता है तथा वह उसकी पदावधि के पूरा होने पर सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त जब तक रहेगा तब तक दूसरी पदावधि के लिए शासकीय निकाय द्वारा इसे नवीकृत नहीं किया जाता है।

(घ) अवैतनिक सदस्य – शासकीय निकाय विख्यात प्रतिभा तथा मैरिट के व्यक्तियों को शामिल कर सकती है या जिसकी संस्था सोसाइटी के लिए लाभप्रद के रूप में समझी जाती है या जिसमें सोसाइटी के लिए उत्कृष्ट मैरिट की सेवाएं अर्पित की है या जो सोसाइटी के अवैतनिक सदस्य के रूप में भारत का या किसी अन्य देश का विख्यात नागरिक है, को व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करने के बाद किसी सदस्यता या अंशदान फीस के भुगतान के बिना शामिल किया जा सकता है। ऐसे अवैतनिक सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं होगी । अवैतनिक सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा विचार विमर्श में सहायक होंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(4) सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान :

(क) सोसाइटी की सदस्यता के लिए दरें तथा वार्षिक अंशदान निम्न अनुसार होगा :

क्र.सं.	सदस्य की किस्म	प्रवेश फीस	वार्षिक अंशदान
1.	संस्थापक सदस्य	2100/–रूपये	शून्य
2.	आजीवन सदस्य	1100/–रूपये	शून्य
3.	साधारण सदस्य	500/– रूपये	100/–रूपये
4.	अवैतनिक सदस्य	शून्य	शून्य

(ख) सदस्य के वार्षिक अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को देय होगा, जो ऐसे वर्ष के जून के 30 वें दिन तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकता है। चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि (30 जून) के बाद निलम्बनाधीन के रूप में समझी जाएगी तथा ऐसा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद कराए गए सोसाइटी के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने के हकदार नहीं होंगे ।

(ग) वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान योग्य राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित चूक को चुकाने के बाद रदद किया जा सकता है। तथापि वह बाकी के वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए किसी निर्वाचन में अपना मत डालने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(5) प्रवेश प्रक्रिया (अंशदाता से अन्यथा सदस्यों के लिए)

(क) सोसाइटी के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश समय समय पर इसके शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाएगा ।

(ख) सोसाइटी के सदस्य के रूप में इच्छुक व्यक्ति विहित प्रारूप में तथा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित तथा सोसाइटी के नियमित सदस्य द्वारा अनुशासित सचिव को समर्थित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

प्रधान | महासचिव | कोषाध्यक्ष

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

NOTARY, Sandeep Mittal, Regn. No. 4581, Area Rohtak, GOVT. OF INDIA

(ग) सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसके निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा ।

(घ) शासकीय निकाय आवेदन के स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा । यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतु बाध्य नहीं होगा ।

(ड) शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा, उसका नाम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम 2012 के अधीन यथा विहित ऐसी रीति तथा प्रारूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसाइटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(च) प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के व्यक्तिगत सदस्य तथा महासचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसके फोटो, संक्षिप्त ब्यौरों तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(6) सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं :

(क) सोसाइटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विष्ट तथा समय समय पर संशोधित सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य होंगे ।

(ख) अवैतनिक सदस्य के सिवाए, प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा सदस्य सोसाइटी के किसी देयों तथा देय तिथि से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूककर्ता नहीं है।

(ग) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य दिवस को सोसाइटी की लेखा पुस्तकों, सामान्य बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत वाली पुस्तकों, शासकीय निकाय की बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(घ) प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसाइटी को सूचित करेगा जो सोसाइटी के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत् अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद सोसाइटी ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगी ।

(7) सदस्यता की समाप्ति : सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में सोसाइटी के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा :

(क) अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को आकर्षित करने,

(ख) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर

(ग) ऐसे सदस्य को सोसाइटी की निधियों का वित्तीय गबन का दोषी पाए जाने पर

(घ) सोसाइटी के जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/महा रजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निदेशों पर

(ड) अवैतनिक सदस्य सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा यदि शासकीय निकाय इस निमित संकल्प पारित करते हुए ऐसा निर्णय करता है।

NOTARY Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak GOVT. OF INDIA

District Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान | महासचिव | कोषाध्यक्ष

5. **सामान्य निकाय :**

(क) सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसाइटी के शासकीय निकाय का सदस्य होगा तथा सोसाइटी के शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान सहित सोसाइटी के किन्ही देयों का भुगतान के बकायों में नहीं रहता है।

(ख) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

6. **सामान्य निकाय की बैठकें :**

(क) सोसाइटी के सामान्य निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई जाएगी । तथापि सोसाइटी के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसा कि वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) यथा अपेक्षित सोसाइटी के किसी अन्य कारबार के संव्यवहार के अतिरिक्त सोसाइटी के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी ।

(ख) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञात नही किया जाएगा ।

(ख) सोसाइटी का शासकीय निकाय या तो वह स्वयं या सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोसाइटी के सामान्य निकाय की असाधारण बैठक बुला सकता है।

(ग) सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किए जाने वाले कारोबार के एजेंडे की प्रति, बैठक की तिथि, समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा । ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी ।

(घ) सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा (कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) यदि सहमत हो, लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

(ड) सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 40 प्रतिशत से होगी गणपूर्ति की कमी के लिए स्थगित बैठक की दशा में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम तीन के अध्यहीन, कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी । सामान्य निकाय किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थगित बैठक में सभी कारोबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा । यदि कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि सोसाइटी के कुल सदस्योंका कम से कम 25 प्रतिशत उपस्थित है।

NOTARY GOVT. OF INDIA Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana — GOVT. OF HARYANA

प्रधान — महासचिव — कोषाध्यक्ष

(च) सामान्य निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाहियां सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए अलग रूप से रखी गई कार्यवृत पुस्तक (बांधी गई या खुले पन्नों में) अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जांएगे

7. सामान्य निकाय की शक्तियों, कृत्य तथा कर्तव्य :

(क) सोसाइटी को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का अवधारण करने तथा पूरा करने में गाइड करना ।

(ख) पालिसी मामलों का निर्णय करना जैसे कि सोसाइटी के नाम का परिवर्तन, सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन, सोसाइटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, सोसाइटी इत्यादि की अचल परिसम्पतियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियम अधिनियम तथा नियम, 2012 के अधीन अपेक्षित हो ।

(ग) शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना ।

(घ) शासकीय निकाय के किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना ।

8. शासकीय निकाय :

(1) संयोजन : सोसाइटी का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 3 पदाधिकारियों तथा 4 सदस्यों का होगा ।

(क) प्रधान

(ख) महासचिव

(ग) कोषाध्यक्ष

(घ) 4 सदस्य

(ड़) शासकीय निकाय द्वारा किसी अवैतनिक सदस्य के सहयोजन सहित 7 कार्यकारी सदस्य

(2) शासकीय निकाय का निर्वाचन :

(क) शासकीय निकाय की अवधि जिला रजिस्ट्रार द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की होगी ।

(ख) शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सामान्य निकाय के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित/प्रदर्शित करेगा । शासकीय निकाय तिथि, समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस तथा शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी भेजेगा, यदि वह ऐसी इच्छा करे ।

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

प्रधान

NOTARY
Sandeep Mittal
Regn. No. 4541
Area Rohtak
GOVT. OF INDIA

महासचिव

कोषाध्यक्ष

(ग) मत के लिए हकदार सोसाइटी के सदस्यों की सूची के रूप में किसी आक्षेप का सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाएगा । तथापि रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता की घटना में अन्तिम होगा । उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अनुसूची, नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा ।

(घ) रिटर्निंग अधिकारी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा । रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा । मत के लिए पात्र सदस्य की स्वयं तथा जहां कहीं विवाद हो, सोसाइटी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ड) मतदान की तिथि को समय की समाप्ति के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसाइटी का शासकीय निकाय गठित करेगा । रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शासकीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा, जो अपनी सन्तुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा ।

(च) सोसाइटी के पदाधिकारी सोसाइटी की सेवाएं देने के लिए किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे ।

(3) शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति सोसाइटी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तक तदर्थ आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों में से, यदि अपेक्षित हो, शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है। शासकीय निकाय के ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा, यदि उसको नियुक्ति शासकीयनिकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नहीं की जाती है।

(4) शासकीय निकाय की बैठक :

(क) शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी । तथापि, शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित्त वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होंगी ।

(ख) प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा दिया जाएगा । तथापि शासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है।

(ग) शासकीय निकाय की बैठकों की गणपूर्ति, अधिकतम 5 सदस्यों के अध्यधीन, शासकीय

प्रधान   महासचिव   कोषाध्यक्ष

NOTARY Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak GOVT. OF INDIA

Distt. Registrar of Societies Department of Industries & Commerce, Haryana GOVT. OF HARYANA

निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी यदि गणपूर्ति विद्यमान नहीं है तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा । अधिकतम तीन सदस्यों के अध्यहीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे ।

(घ) शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी । ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे । यदि अध्यक्ष या सचिव कार्यवृत हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

(ड) शासकीय निकाय को प्रत्येक बैठक के कार्यवृत शासकीय निकाय की परवर्ती बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएंगे ।

(5) शासकीय निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य :

(क) शासकीय निकाय सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सोसाइटी के सर्वोतम हित में कार्य करेगा जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सोसाइटी की निधियों तथा परिसम्पत्तियां के फैलाव के लिए सशक्त किया जाएगा

(ख) शासकीय निकाय इस द्वारा यथा निर्णीत इसके नाम से निधियां उठाने तथा पूर्ण स्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पति खरीदने के लिए सक्षम होगा ।

(ग) शासकीय निकाय सोसाइटी से सम्बन्धित या में निहित सभी अचल सम्पतियों तथाचल परिसम्पत्तियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हें ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह सोसाइटी के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के अध्यहीन उचित समझे

(घ) शासकीय निकाय रीति जो वह सोसाइटी के सर्वोतम हित में उचित समझे, में निधियां निवेश करने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रीति में सोसाइटी की ओर से सम्पतियां उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा ।

(ड) ऐसे कृत्यों जो समय समय पर सौंपे जाएं, की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थाई या तदर्थ समितियां गठित करना ।

(च) सीवनहीन रीति में लिपकीय, लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए सोसाइटी के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध सृजित करना ।

(छ) बाहरी स्त्रोत से कतिपय कृत्य करना अर्थात सोसाइटी के परिसरों की सफाई सुरक्षा तथा समरूप अन्य रखरखाव गतिविधियां ।

(6) शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य :-

(क) प्रधान :

1. सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय समय पर सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।
2. किसी मामले पर विचार विमर्श को अनुज्ञात या अस्वीकार करना जो एजेंडे में शामिल नही किया जाता है।

प्रधान **महासचिव** **कोषाध्यक्ष**

Deptt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA
NOTARY
Sandeep Mittal
Regn. No. 4541
Area Rohtak
GOVT. OF INDIA

3. सोसाइटी/शासकीय निकाय के उचित तथा पारदर्शी कृत्य करना सुनिश्चित करना ।

4. हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करना ।

5. सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना ।

6. सोसाइटी किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सकती है व जुरूरत पड़ने पर ऋण ले सकती है । खाता चलाने के लिए प्रधान, महासचिव व खजांची में से किसी दो के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें ।

(ख) महासचिव :

1. सोसाइटी के सभी कार्यो को करना, संघटित करना, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध करना तथा सोसाइटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान/शासकीय निकाय द्वारा सौंपे जाएं ।

2. शासकीय निकाय के सम्मुख सोसाइटी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना, संवीक्षा करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसके आधक्षर के अधीन सदस्यों के रजिस्टर में, यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को सूचित करना तथा इस प्रकारशामिल किए गए सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना ।

3. प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय/शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन यथा विहित उचित नोटिस तामील करना ।

4. सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठके करने में प्रधान की सहायता करना तथा सभी बैठकों को कार्यवाहियों का रिकार्ड करना ।

5. सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसे रखने के अनुमोदन के लिए सोसाइटी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखना ।

6. सोसाइटी/शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परिरक्षण करना ।

7. सोसाइटी के सम्पूर्ण कार्यो की देखभाल करने में तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधान की सहायता करना तथा सहयोग देना ।

8. जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी/दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाएं ।

9. सोसाइटी की सामान्य मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षक होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार, जहां कहीं अपेक्षित हो, उसे लगाना ।

NOTARY Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak GOVT. OF INDIA

District Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान | महासचिव | कोषाध्यक्ष

10. सोसाइटी/शासकीय निकाय की ओर से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्रों तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टर तथा रिकार्ड को उचित रूप से रखे तथा अनुरक्षित किए जा रहे है।

11. निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार, विधिवत अद्यतन करना तथा शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना ।

12. सोसाइटी के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना/जिसमें पदों का सृजन, वेतन/पारिश्रमिक/भत्तों इत्यादि का नियतन, अमले की नियुक्तियां करने/लगाने, खरीद करने सहित शासकीय निकाय की ओर से वित्तीय कार्य शामिल है तथा सभी अन्य ऐसे काम करना जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हों तथा जहां कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन सोसाइटी के प्रधान के परामर्श से विशिष्ट रूप से नही किया जाता है। सचिव सोसाइटी के कार्य में खर्च करने के लिए 50000/-रूपये तक की राशि अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है।

(ग) कोषाध्यक्ष :

1. सोसाइटी के सभी वित्तीय संव्यवहारों तथा सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बन्धित तथा परिसम्पति, जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चो के रिकार्ड रखना ।
2. प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित सोसाइटी के लेखे प्राप्त करना ।
3. वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सोसाइटी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे महासचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना ।
4. सोसाइटी की सभी लेखा पुस्तकों, वित्तीय विवरणी, रसीद पुस्तकों, व्यय वाउचरों, बैंक पास बुक तथा चैक बुक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना ।

(7) **शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्ति :** शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य के रूप में नहीं रहेंगे :

1. उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर
2. यदि वह इन उपविधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप में नहीं रहा है।
3. यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

NOTARY GOVT. OF INDIA Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान | महासचिव | कोषाध्यक्ष

(8) **सोसाइटी के नियोजन से अपवर्जन :**

1. सोसाइटी का कोई भी सदस्य सोसाइटी के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नही रहेगा ।
2. शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान सोसाइटी के कर्मचारी के रूप में नही लगाया जाएगा ।
3. शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि सोसाइटी के नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट सम्बन्धी है।

(9) **सोसाइटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधन :** सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों या नाम का परिवर्तन या समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा । अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना उसे समय के भीतर महासचिव/सचिव द्वारा जिला रजिस्टार के कार्यालय में दायर की जायेगी तो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए ।

(10) **सोसाइटी की परिसम्पति तथा निधियों का प्रबन्धन :**

(क) सोसाइटी की आय के स्त्रोतों में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/परिसम्पति से किराया, ब्याज, परामर्श फीस, दान, उपहार, अनुदान इत्यादि के मदे प्राप्तियों शामिल होंगी सोसाइटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियां ले सकती है। ब्याज पर अनुसचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति के सृजन की खरीद के लिए लेगी तथा ना कि किन्हीं परिस्थितियों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी ।

(ख) शासकीय निकाय वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसाइटी के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा ।

(ग) सोसाइटी के बैंक लेखे ऐसे सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जांएगें जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाए । सोसाइटी किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक से खाता खुलवा सकती है।

(घ) सभी परिसम्पति तथा निधियां सोसाइटी से सम्बन्धित होंगी तथा सोसाइटी में निहित होंगी

(ङ) सोसाइटी की सभी प्राप्तियों तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम से किए जाएंगे (अर्थात डी डी/पे आर्डर/चैक/बैंक ट्रांसफर/आर टी जी एस) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस वार्षिक अंशदान की ओर सभी प्राप्तियां शामिल है। तथापि, शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमाएं अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों में नकद में की जा सकती है।

प्रधान   महासचिव   कोषाध्यक्ष

(11) **सोसाइटी के लेखे :**

(क) सोसाइटी का खजांची आय कर कानून तथा/या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात् रोकड़ बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमें सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसाइटी की परिसम्पति तथा दायित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है।

(ख) सोसाइटी की लेखा पुस्तके सोसाइटी के महा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तथा किसी सदस्य द्वारा कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएंगी ।

(ग) सोसाइटी के वार्षिक लेखे सोसाइटी के किसी दो प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

(घ) शासकीय निकाय ऐसे पारिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सोसाइटी के लेखों की लेखापरीक्षा तथा आयकर विवरणी को दायर करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार को नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य नहीं होगा ।

(12) **सामान्य मुद्रा :** सोसाइटी के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महासचिव/सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार जहां कहीं यह अपेक्षित हो, लगाई जाएगी

(13) **सोसाइटी का समामेलन :** सोसाइटी स्वयं को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी में समामेलित कर सकती है या अधिनियम की धारा 51 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 25 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार इस निमित्त पारित विशेष संकल्प द्वारा स्वयं में समामेलित करने के लिए किसी अन्य सोसाइटी को अनुज्ञात कर सकती है।

(14) **सोसाइटी का विघटन :**

(क) सोसाइटी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार स्वंय का विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है यदि सोसाइटी की प्रक्रिया को चलाना कठिन हो जाता है, या वह दिवालिया हो जाता है या किसी अन्य दबाव तथा अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है।

(ख) सोसाइटी के विघटन की घटना में, सोसाइटी की कोई भी परिसम्पत्ति सोसाइटी के सदस्यों को नहीं मिलेगी ।

(ग) इसकी परिसम्पत्ति तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाएगी तथा छोड़ी गई सम्पत्तियां/परिसम्पत्तियां, यदि कोई हो, समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर को अन्तरण के लिए विचारी जाएगी ।

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

प्रधान | महासचिव | कोषाध्यक्ष

NOTARY GOVT. OF INDIA
Sandeep Mittal
Regn. No. 4541
Area Rohtak

हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम तथा पते इसके नीचे अभिदत है, सोसाइटी को उप-विधियों की सही प्रति के रूप में उक्त को प्रमाणित करते है :

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	आयु	व्यवसाय	पद	हस्ताक्षर
1.	जयवीर	श्री राम कुंवार	गांव भंभेवा, जिला झज्जर	38	समाज सेवक	प्रधान	
2.	जसबीर	श्री राम कुंवार	गांव भंभेवा, जिला झज्जर	26	समाज सेवक	महासचिव	
3.	ममता	श्री जयबीर	गांव भंभेवा, जिला झज्जर	39	समाज सेवक	कोषाध्यक्ष	ममता
4.	सोनू कुमार	श्री सज्जन सिंह	गांव जहाजगढ़, जिला झज्जर	27	समाज सेवक	सदस्य	
5.	अनिल	श्री गोलू	1073, मैन गली, बारी बस्ती, जॉन्टी, दिल्ली	31	समाज सेवक	सदस्य	Anil
6.	अनिल	श्री महेन्द्र सिंह	गांव पहरावर, जिला रोहतक	39	समाज सेवक	सदस्य	
7.	दिलावर	श्री मदान सिंह	गांव जहाजगढ़, जिला झज्जर	26	समाज सेवक	सदस्य	

Certified that above byelaws were passed in the General Body Meeting dated **15.10.2022** and are inconfirmity with the provisions of Haryana Registration and Regulation of Society Act, 2012 and if any clause contravens the Act the same will be void abnitio.

NOTARY GOVT. OF INDIA Sandeep Mittal Regn No. 4541 Area Rohtak

Distt. Registrar of Societies Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान

महासचिव

ममता
कोषाध्यक्ष

श्री श्याम जन कल्याण सेवा संस्था
का आदर्श 'संगम ज्ञापन'

1. सोसाइटी का नाम : **श्री श्याम जन कल्याण सेवा संस्था**

मैमो नं0 **2022-08-003157**

दिनांक 13.06.2022

2. सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर होगा:

C/o जयवीर S/o रामकुवार, 69-ए, गांव भमबेवा, जिला झज्जर

3. अधिकारिता: सोसाइटी हरियाणा राज्य के क्षेत्र में कार्य करेगी ।

4. सोसाइटी के लक्ष्य तथा उद्देश्य:

1. समाज कल्याण से संबंधित क्रियाक्लापों का गांव में आयोजन करना व सामज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना व सामाजिक अवसरों पर जन सुविधाओं के लिए सार्वजनिक स्थान की व्यवस्था करना ।
2. धार्मिक स्थलों पर मुफ्त भोजन (भण्डारा), चिकित्साा शिवरों का आयोजन करना और निशुल्क दवाईयां देना ।
3. समय-समय पर विशेष शुभ अवसरों पर व त्यांहारों आदि पर धर्म कीर्तन, भजन, उपदेश, सत्संग, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्य इत्यादि करवाना । धर्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए धार्मिक जुलुस, झाकियां, प्रभात-फेरियों का अयोजन करना ।
4. पुजारियों व साधु सन्तों की सेवा व समय समय पर भण्डारे का आयोजन करना
5. समाज सुधार के कार्यक्रमों जैसे वृक्षारोपण, परिवार कल्याण स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा आदि को बढ़ावा देना।
6. गरीब व जरूरतमन्द स्त्रियों के घरेलू जीवन को सुधारने के लिए शिक्षा तथा साहित्य का प्रबन्ध करना।
7. नशा उन्नमूलन एवं एडस की रोकथाम के लिए कार्यशालाओं एवं सेमीनार का आयोजन करना एवं युवाओं को जागृत करना ।
8. समाज में बढ़ते अन्याय के खिलाफ समाज में जागरूकता लाना ।
9. एडस और एच.आई.वी. के बारे में जागरूकता शिविर का आयोजन करना व रोकथाम के बारे में बताना।
10. आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण तकनीकि एवं गैर तकनीकि संबंधित शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना ।

GOVT. OF INDIA NOTARY Sandeep Mittal Regd. No. 4511 Area Rohtak

Distt. Registrar of Societies Department of Industries & Commerce Haryana GOVT. OF HARYANA

प्रधान	महासचिव	कोषाध्यक्ष

11. स्त्रियों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रशिक्षण एवं रोजगार केन्द्र चलाना तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र चलाना ।
12. अपंग बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करना।
13. गरीब लड़कियों की शादी करवाना।
14. निःशुल्क शिक्षा और सिलाई केन्द्र की स्थापना करना।
15. बाल विकास कार्यक्रम चलाना ।
16. भूमिगत पानी के अधिक दोहन के कारण पानी को बचाने के लिए वर्षा के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर पानी का बचाव करना ।
17. कम्यूनिटी सैंटर चलाना व वृद्धाश्रम खोलना ।
18. राष्ट्रीय एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा मैत्री को बढ़ावा देना ।
19. धूम्रपान, शराब तथा मादक द्रव्य उपयोग के विरूद्ध निषेध के हेतु कार्य करना तथा लोगों का आन्दोलन प्रारम्भ करना ।
20. सामाजिक बुराई जैसे कि मादा भ्रूण हत्या, दहेज, शादी आदि के सामाजिक उत्सवों पर फिजूल खर्च, निर्णय इत्यादि लेने में महिलाओं को सशक्त करने में जागरूकता सृजित करना तथा सम्बोधित करना ।
21. विशेष रूप से जल संरक्षण, स्वच्छतता, कम लागत आवास, कृषि तथा पशुपालन तथा इंजीनियरिंग स्त्रोत के क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी (लागत कमी, उत्पादकता सुधारने इत्यादि) के लिए तकनीक तथा प्रोद्योगिकों के लागूकरण सहित ग्रामीण विकास की प्रगति की गति बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना ।
22. पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तथा पिछली लापरवाही के कारण विकृत प्राकृतिक साधनों के पुनरूद्वार के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना
23. ऊर्जा की अक्षय स्त्रोत वाली प्रणाली सहित उचित प्रोद्योगिकी को प्रोत्साहन देना तथा विस्तार करना ।
24. ऐसे कार्यक्रम आरम्भ करना जिसमें विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी महिलाओं के जीवन, कार्य स्थिति को सुधारने तथा [illegible] नियोजन के लिए अवसरों मे मुख्य भूमिका हो[illegible]
25. सूचना तथा संचार प्रद्योगिकी का प्रयोग करने सहित पारदर्शी रीति में नागरिक सेवाओं को प्रदान करने में लगाना ।
26. आर्थिक तथा सामाजिक परियोजनाओं के संघटन मूल्यांकन को प्रारम्भ करना

प्रधान | महासचिव | कोषाध्यक्ष

27. ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ करना जो सोसाइटी के कमजोर वर्गो, विशेष रूप से योजना में हिस्सेदार शामिल करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले तथा महिलाओं के आय स्तरों को बढ़ाना तथा रोजगार अवसरों का विस्तार करना, प्रारम्भ गतिविधियों का लागूकरण तथा अनुरक्षण सुनिश्चित करना।

28. समाज के अलाभ वर्ग को संगठित करना तथा सरकारी/गैर सरकारी कार्यक्रमों विधिक उपबन्धों इत्यादि के अधीन उनके कार्यक्रम विषयों तथा सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी के उनके स्तर को बढ़ाने के लिए तथा सहकारी तथा समूह कार्यवाही को उन्नत करते हुए उनकी सौदाकारी शक्ति को भी बढ़ाने के लिए कदम उठाना ।

29. शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, 1986 में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार सभी औपचारिक तथा गैर औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ करना ।

30. खेल तथा स्वास्थ्य ध्यान गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कार्य करना ।

31. दान या अनुदान या अंशदान के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, गैर सरकारी अभिकरणों, धर्मार्थ न्यासों से या सार्वजनिक तथा निजी वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेते हुए निधियां लेना या सम्पति अर्जित करना । सोसाइटी के वर्तमान तथा भविष्य की निधियां, सम्पत्तियां, परिसम्पति तथा सभी अन्य साधनों का उपरोक्त यथा कथित सोसाइटी के किसी या सभी प्रयोजनों व उद्देश्यों के लिए तथा सच्चाई व अहिंसा के आदर्शो के प्रोत्साहन में सभी अन्य समरूप गतिविधियों के लिए भी उपयोग किया जाएगा ।

32. गरीब व बूढ़े लोगों की हर तरह से सहायता करना।

33. ब्लड बैंक का प्रोविजन करना ।

34. बॉडी चैक-अप कैम्प लगाना ।

35. आंखों का चैक-अप कैम्प लगाना ।

36. जरूरमंदों को फ्री दवाई दिलवाना ।

37. अपंग बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करना।

38. गरीब लड़कियों की शादी करवाना।

39. निःशुल्क शिक्षा और सिलाई केन्द्र की स्थापना ।

40. बाल विकास कार्यक्रम चलाना ।

41. कम्यूनिटी सैंटर चलाना व वृद्धाश्रम खोलना ।

NOTARY GOVT. OF INDIA Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak

Distt. Registrar of Societies Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान | महासचिव | कोषाध्यक्ष

5. शर्तें :

1) सोसायटी की सम्पत्ति तथा आय समिति के हित के लिए खर्च की जायेगी । इसमें से किसी भी सोसायटी की राशि या सम्पत्ति का कोई भी भाग बोनस या डिविडैंड के रूप में नहीं दिया जायेगा ।

2) सभी सदस्य अवैतनिक होगें । कोई भी सदस्य वेतन नहीं लेगा । कार्यकारिणी या आमसभा का कोई भी सदस्य जो समिति के लिए अपनी जेब से खर्च करेगा वह राशि सोसायटी की आय में से सदस्य को दी जायेगी ।
सोसायटी के लिए किसी सदस्य से ली हुई राशि का ब्याज तथा मकान का किराया जो समिति के प्रयोग के लिए लिया गया हो, समिति की आय में से देंगें ।

3) यदि सोसायटी को कोई लाभ होगा या आमदनी होगी वह राशि सोसायटी के हित के लिए खर्च की जायेगी।

4) किसी कारणवश सोसायटी के बंद होने की स्थिति में सोसायटी की जायदाद से देनदारीयां पुरी करने के बाद बची हुई चल व अचल संपत्ती को जिला उपायुक्त या किसी समानांतर उद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जाएगी ।

NOTARY GOVT. OF INDIA Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak

Distt. Registrar of Societies Department of Industries & Commerce, Haryana GOVT. OF HARYANA

प्रधान | महासचिव | कोषाध्यक्ष

5. सोसाइटी के सदस्यों के नाम जिसके प्रबन्धन कार्यों के नियत तथा उपविधियां सौंपी जाती है वे निम्न अनुसार है :-

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	आयु	व्यवसाय	पद	हस्ताक्षर
1.	जयवीर	श्री राम कुंवार	गांव भंभेवा, जिला झज्जर	38	समाज सेवक	प्रधान	
2.	जसबीर	श्री राम कुंवार	गांव भंभेवा, जिला झज्जर	26	समाज सेवक	महासचिव	
3.	ममता	श्री जयबीर	गांव भंभेवा, जिला झज्जर	39	समाज सेवक	कोषाध्यक्ष	ममता
4.	सोनू कुमार	श्री सज्जन सिंह	गांव जहाजगढ़, जिला झज्जर	27	समाज सेवक	सदस्य	

NOTARY GOVT. OF INDIA Sandeep Mittal Regn. No. 4581 Area Rohtak

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान महासचिव ममता कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	आयु	व्यवसाय	पद	हस्ताक्षर
5.	अनिल	श्री गोलू	1073, मैन गली, बारी बस्ती, जॉन्टी, दिल्ली	31	समाज सेवक	सदस्य	Anil
6.	अनिल	श्री महेन्द्र सिंह	गांव पहरावर, जिला रोहतक	39	समाज सेवक	सदस्य	अनिल
7.	दिलावर	श्री मदान सिंह	गांव जहाजगढ़, जिला झज्जर	26	समाज सेवक	सदस्य	दिलावर

गवाही :

मैं उपरोक्त सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को जाति तौर से जानता हूँ तथा सभी ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये है।

Deepak

दिनांक :......................

नाम व पता 1. दीपक s/o सुभाष
गाँव जमेमा (झज्जर)

स्थान: ....

नाम व पता 2. साहिल s/o ...
गाँव जमेमा जिला झज्जर

Sahil

NOTARY
Sandeep Mittal
Regn. No. 4541
Area Rohtak
GOVT. OF INDIA

Dist. Registrar of Societies
GOVT. OF HARYANA
Department of Industries & Commerce Haryana

प्रधान

महासचिव

कोषाध्यक्ष

ATTESTED
SANDEEP MITTAL
ADVOCATE
NOTARY PUBLIC
ROHTAK

श्री श्याम जन कल्याण सेवा संस्था
के लिए आदर्श उपविधियां

71. सोसाइटी का नाम : **श्री श्याम जन कल्याण सेवा संस्था**

2. **सोसाइटी** का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (पूरा डाक पता):

C/o जयवीर S/o रामकुवार, 69-ए, गांव भमबेवा, जिला झज्जर

3. **सोसाइटी** हरियाणा राज्य के क्षेत्र के भीतर अपनी मुख्य गतिविधियां करेगी ।

4. **सदस्यता :**

(1) समिति में संस्थापक सदस्यों/मूल अंशदाता सहित अधिकतम 1000 सदस्य होंगे ।

(2) पात्रता : सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश किए जाने के उद्देश्य से व्यक्ति :

(क) प्रवेश की तिथि को 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए ।

(ख) समिति के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए ।

(ग) प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करने चाहिए तथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए ।

(घ) दिवालिया तथा विकृत चित नहीं होना चाहिए ।

(ड) एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध का सिद्वदोष नहीं होना चाहिए ।

(3) **सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्ग:** सोसाइटी निम्न अनुसार सदस्यों के चार विभिन्न प्रवर्गो की होगी :-

(क) संस्थापक सदस्य - सदस्य जो सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के समय पर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा सोसाइटी को अपेक्षित सदस्यता फीस का भुगतान कर दिया है। संस्थापक सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी । संस्थापक सदस्य सोसाइटी के आजीवन सदस्य बना रहेगा तथा यदि सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या 1000 से अधिक है, तो निर्वाचन के बिना कॉलिजियम के सदस्य होने के नाते विशेषाधिकार रखेंगे ।

(ख) आजीवन सदस्य - किसी व्यक्ति के विहित फीस के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के लिए सोसाइटी के सदस्य के रूप में बना रहेगा । आजीवन सदस्यों की कुल संख्या 98 से अधिक नहीं होगी ।

(ग) साधारण सदस्य - सोसाइटी में कुल 900 साधारण सदस्य होंगे [illegible] की वार्षिक अंशदान फीस के भुगतान के बकाया में न होने तक केवल अपनी सदस्यता

जयवीर
प्रधान

NOTARY
Sandeep Mittal
Regn. No. 4561
Area Rohtak
GOVT. OF INDIA

Jasbir
महासचिव

ममता
कोषाध्यक्ष

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

का निरंतर उपभोग करेंगे । साधारण सदस्य को पदावधि सदस्य के रूप में अर्थात् दो से पांच वर्ष (वर्षो), जैसी भी स्थिति हो, की अवधि के लिए शामिल किया जा सकता है तथा वह उसकी पदावधि के पूरा होने पर सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त जब तक रहेगा तब तक दूसरी पदावधि के लिए शासकीय निकाय द्वारा इसे नवीकृत नहीं किया जाता है।

(घ) अवैतनिक सदस्य – शासकीय निकाय विख्यात प्रतिभा तथा मैरिट के व्यक्तियों को शामिल कर सकती है या जिसकी संस्था सोसाइटी के लिए लाभप्रद के रूप में समझी जाती है या जिसमें सोसाइटी के लिए उत्कृष्ट मैरिट की सेवाएं अर्पित की है या जो सोसाइटी के अवैतनिक सदस्य के रूप में भारत का या किसी अन्य देश का विख्यात नागरिक है, को व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करने के बाद किसी सदस्यता या अंशदान फीस के भुगतान के बिना शामिल किया जा सकता है। ऐसे अवैतनिक सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं होगी । अवैतनिक सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा विचार विमर्श में सहायक होंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(4) सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान :

(क) सोसाइटी की सदस्यता के लिए दरें तथा वार्षिक अंशदान निम्न अनुसार होगा :

क्र.सं.	सदस्य की किस्म	प्रवेश फीस	वार्षिक अंशदान
1.	संस्थापक सदस्य	2100/–रूपये	शून्य
2.	आजीवन सदस्य	1100/–रूपये	शून्य
3.	साधारण सदस्य	500/– रूपये	100/–रूपये
4.	अवैतनिक सदस्य	शून्य	शून्य

(ख) सदस्य के वार्षिक अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को देय होगा, जो ऐसे वर्ष के जून के 30 वें दिन तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकता है। चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि (30 जून) के बाद निलम्बनाधीन के रूप में समझी जाएगी तथा ऐसा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद कराए गए सोसाइटी के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने के हकदार नहीं होंगे ।

(ग) वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान योग्य राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित चूक को चुकाने के बाद रदद किया जा सकता है। तथापि वह बाकी के वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए किसी निर्वाचन में अपना मत डालने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(5) प्रवेश प्रक्रिया (अंशदाता से अन्यथा सदस्यों के लिए)

(क) सोसाइटी के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश समय समय पर इसके शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाएगा ।

(ख) सोसाइटी के सदस्य के रूप में इच्छुक व्यक्ति विहित प्रारूप में तथा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित तथा सोसाइटी के नियमित सदस्य द्वारा अनुशासित सचिव को समर्थित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

Gulab (signature) — **प्रधान**

Jasbir (signature) — **महासचिव**

ममता (signature) — **कोषाध्यक्ष**

NOTARY — Sandeep Mittal, Regn. No. 4581, Area Rohtak — GOVT. OF INDIA

Distt. Registrar of Societies — Department of Industries & Commerce, Haryana — GOVT. OF HARYANA

(ग) सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसके निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा ।

(घ) शासकीय निकाय आवेदन के स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा । यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतु बाध्य नहीं होगा ।

(ड) शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा, उसका नाम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम 2012 के अधीन यथा विहित ऐसी रीति तथा प्रारूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसाइटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(च) प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के व्यक्तिगत सदस्य तथा महासचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसके फोटो, संक्षिप्त ब्यौरों तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(6) सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं :

(क) सोसाइटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विष्ट तथा समय समय पर संशोधित सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य होंगे ।

(ख) अवैतनिक सदस्य के सिवाए, प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा सदस्य सोसाइटी के किसी देयों तथा देय तिथि से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूककर्ता नहीं है।

(ग) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य दिवस को सोसाइटी की लेखा पुस्तकों, सामान्य बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत वाली पुस्तकों, शासकीय निकाय की बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(घ) प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसाइटी को सूचित करेगा जो सोसाइटी के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत् अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद सोसाइटी ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगी ।

(7) सदस्यता की समाप्ति : सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में सोसाइटी के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा :

(क) अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को आकर्षित करने,

(ख) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर

(ग) ऐसे सदस्य को सोसाइटी की निधियों का वित्तीय गबन का दोषी पाए जाने पर

(घ) सोसाइटी के जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/महा रजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निदेशनों पर

(ड) अवैतनिक सदस्य सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा यदि शासकीय निकाय इस निमित संकल्प पारित करते हुए ऐसा निर्णय करता है।

NOTARY Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak GOVT. OF INDIA

District Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान | महासचिव | कोषाध्यक्ष

5. **सामान्य निकाय :**

(क) सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसाइटी के शासकीय निकाय का सदस्य होगा तथा सोसाइटी के शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान सहित सोसाइटी के किन्ही देयों का भुगतान के बकायों में नहीं रहता है।

(ख) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

6. **सामान्य निकाय की बैठकें :**

(क) सोसाइटी के सामान्य निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई जाएगी । तथापि सोसाइटी के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसा कि वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) यथा अपेक्षित सोसाइटी के किसी अन्य कारबार के संव्यवहार के अतिरिक्त सोसाइटी के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी ।

(ख) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञात नही किया जाएगा ।

(ख) सोसाइटी का शासकीय निकाय या तो वह स्वयं या सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोसाइटी के सामान्य निकाय की असाधारण बैठक बुला सकता है।

(ग) सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किए जाने वाले कारोबार के एजेंडे की प्रति, बैठक की तिथि, समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा । ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी ।

(घ) सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा (कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) यदि सहमत हो, लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

(ड) सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 40 प्रतिशत से होगी गणपूर्ति की कमी के लिए स्थगित बैठक की दशा में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम तीन के अध्यहीन, कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी । सामान्य निकाय किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थगित बैठक में सभी कारोबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा । यदि कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि सोसाइटी के कुल सदस्योंका कम से कम 25 प्रतिशत उपस्थित है।

NOTARY Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak GOVT. OF INDIA

Distt. Registrar of Societies Department of Industries & Commerce, Haryana GOVT. OF HARYANA

प्रधान **महासचिव** **कोषाध्यक्ष**

(च) सामान्य निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाहियां सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए अलग रूप से रखी गई कार्यवृत पुस्तक (बांधी गई या खुले पन्नों में) अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जांएगे

7. सामान्य निकाय की शक्तियों, कृत्य तथा कर्तव्य :

(क) सोसाइटी को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का अवधारण करने तथा पूरा करने में गाइड करना ।

(ख) पालिसी मामलों का निर्णय करना जैसे कि सोसाइटी के नाम का परिवर्तन, सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन, सोसाइटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, सोसाइटी इत्यादि की अचल परिसम्पतियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियम अधिनियम तथा नियम, 2012 के अधीन अपेक्षित हो ।

(ग) शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना ।

(घ) शासकीय निकाय के किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना ।

8. शासकीय निकाय :

(1) संयोजन : सोसाइटी का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 3 पदाधिकारियों तथा 4 सदस्यों का होगा ।

(क) प्रधान

(ख) महासचिव

(ग) कोषाध्यक्ष

(घ) 4 सदस्य

(ड़) शासकीय निकाय द्वारा किसी अवैतनिक सदस्य के सहयोजन सहित 7 कार्यकारी सदस्य

(2) शासकीय निकाय का निर्वाचन :

(क) शासकीय निकाय की अवधि जिला रजिस्ट्रार द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की होगी ।

(ख) शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सामान्य निकाय के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित/प्रदर्शित करेगा । शासकीय निकाय तिथि, समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस देगा तथा शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी भेजेगा, यदि वह ऐसी इच्छा करे ।

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान

NOTARY Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak GOVT. OF INDIA

महासचिव

कोषाध्यक्ष

(ग) मत के लिए हकदार सोसाइटी के सदस्यों की सूची के रूप में किसी आक्षेप का सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाएगा । तथापि रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता की घटना में अन्तिम होगा । उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अनुसूची, नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा ।

(घ) रिटर्निंग अधिकारी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा । रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा । मत के लिए पात्र सदस्य की स्वयं तथा जहां कहीं विवाद हो, सोसाइटी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ङ) मतदान की तिथि को समय की समाप्ति के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसाइटी का शासकीय निकाय गठित करेगा । रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शासकीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा, जो अपनी सन्तुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा ।

(च) सोसाइटी के पदाधिकारी सोसाइटी की सेवाएं देने के लिए किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे ।

(3) शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति सोसाइटी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तक तदर्थ आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों में से, यदि अपेक्षित हो, शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है। शासकीय निकाय के ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा, यदि उसको नियुक्ति शासकीयनिकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नहीं की जाती है।

(4) शासकीय निकाय की बैठक :

(क) शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी । तथापि, शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित्त वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होंगी ।

(ख) प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा दिया जाएगा । तथापि शासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है।

(ग) शासकीय निकाय की बैठकों की गणपूर्ति, अधिकतम 5 सदस्यों के अध्यधीन, शासकीय

प्रधान   महासचिव   कोषाध्यक्ष

NOTARY Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak GOVT. OF INDIA

Distt. Registrar of Societies Department of Industries & Commerce, Haryana

निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी यदि गणपूर्ति विद्यमान नहीं है तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा । अधिकतम तीन सदस्यों के अध्यहीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे ।

(घ) शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी । ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे । यदि अध्यक्ष या सचिव कार्यवृत हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

(ड) शासकीय निकाय को प्रत्येक बैठक के कार्यवृत शासकीय निकाय की परवर्ती बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएंगे ।

(5) शासकीय निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य :

(क) शासकीय निकाय सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सोसाइटी के सर्वोतम हित में कार्य करेगा जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सोसाइटी की निधियों तथा परिसम्पत्तियां के फैलाव के लिए सशक्त किया जाएगा

(ख) शासकीय निकाय इस द्वारा यथा निर्णीत इसके नाम से निधियां उठाने तथा पूर्ण स्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पति खरीदने के लिए सक्षम होगा ।

(ग) शासकीय निकाय सोसाइटी से सम्बन्धित या में निहित सभी अचल सम्पतियों तथाचल परिसम्पत्तियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हें ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह सोसाइटी के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के अध्यहीन उचित समझे

(घ) शासकीय निकाय रीति जो वह सोसाइटी के सर्वोतम हित में उचित समझे, में निधियां निवेश करने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रीति में सोसाइटी की ओर से सम्पतियां उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा ।

(ड) ऐसे कृत्यों जो समय समय पर सौंपे जाएं, की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थाई या तदर्थ समितियां गठित करना ।

(च) सीवनहीन रीति में लिपकीय, लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए सोसाइटी के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध सृजित करना ।

(छ) बाहरी स्त्रोत से कतिपय कृत्य करना अर्थात सोसाइटी के परिसरों की सफाई सुरक्षा तथा समरूप अन्य रखरखाव गतिविधियां ।

(6) शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य :-

(क) प्रधान :

1. सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय समय पर सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।
2. किसी मामले पर विचार विमर्श को अनुज्ञात या अस्वीकार करना जो एजेंडे में शामिल नही किया जाता है।

प्रधान | **महासचिव** | **कोषाध्यक्ष**

NOTARY GOVT. OF INDIA Sandeep Mittal Regn. No. 4541 Area Rohtak

Deptt. Registrar of Societies Department of Industries & Commerce, Haryana

3. सोसाइटी/शासकीय निकाय के उचित तथा पारदर्शी कृत्य करना सुनिश्चित करना ।

4. हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करना ।

5. सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना ।

6. सोसाइटी किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सकती है व जुरूरत पड़ने पर ऋण ले सकती है । खाता चलाने के लिए प्रधान, महासचिव व खजांची में से किसी दो के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें ।

(ख) महासचिव :

1. सोसाइटी के सभी कार्यो को करना, संघटित करना, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध करना तथा सोसाइटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान/शासकीय निकाय द्वारा सौंपे जाएं ।

2. शासकीय निकाय के सम्मुख सोसाइटी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना, संवीक्षा करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसके आधक्षर के अधीन सदस्यों के रजिस्टर में, यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को सूचित करना तथा इस प्रकारशामिल किए गए सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना ।

3. प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय/शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन यथा विहित उचित नोटिस तामील करना ।

4. सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठके करने में प्रधान की सहायता करना तथा सभी बैठकों को कार्यवाहियों का रिकार्ड करना ।

5. सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसे रखने के अनुमोदन के लिए सोसाइटी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखना ।

6. सोसाइटी/शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परिरक्षण करना ।

7. सोसाइटी के सम्पूर्ण कार्यो की देखभाल करने में तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधान की सहायता करना तथा सहयोग देना ।

8. जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी/दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाएं ।

9. सोसाइटी की सामान्य मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षक होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार, जहां कहीं अपेक्षित हो, उसे लगाना ।

प्रधान | महासचिव | कोषाध्यक्ष

10. सोसाइटी/शासकीय निकाय की ओर से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्रों तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टर तथा रिकार्ड को उचित रूप से रखे तथा अनुरक्षित किए जा रहे है।

11. निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार, विधिवत अद्यतन करना तथा शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना ।

12. सोसाइटी के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना/जिसमें पदों का सृजन, वेतन/पारिश्रमिक/भत्तों इत्यादि का नियतन, अमले की नियुक्तियां करने/लगाने, खरीद करने सहित शासकीय निकाय की ओर से वित्तीय कार्य शामिल है तथा सभी अन्य ऐसे काम करना जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हों तथा जहां कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन सोसाइटी के प्रधान के परामर्श से विशिष्ट रूप से नही किया जाता है। सचिव सोसाइटी के कार्य में खर्च करने के लिए 50000/-रूपये तक की राशि अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है।

(ग) कोषाध्यक्ष :

1. सोसाइटी के सभी वित्तीय संव्यवहारों तथा सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बन्धित तथा परिसम्पति, जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चो के रिकार्ड रखना ।
2. प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित सोसाइटी के लेखे प्राप्त करना ।
3. वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सोसाइटी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे महासचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना ।
4. सोसाइटी की सभी लेखा पुस्तकों, वित्तीय विवरणी, रसीद पुस्तकों, व्यय वाउचरों, बैंक पास बुक तथा चैक बुक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना ।

(7) शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्ति : शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य के रूप में नहीं रहेंगे :

1. उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर
2. यदि वह इन उपविधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप में नहीं रहा है।
3. यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

NOTARY
GOVT. OF INDIA
Sandeep Mittal
Regn. No. 4541
Area Rohtak

प्रधान　　　　महासचिव　　　　कोषाध्यक्ष

(8) **सोसाइटी के नियोजन से अपवर्जन :**

1. सोसाइटी का कोई भी सदस्य सोसाइटी के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नही रहेगा ।
2. शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान सोसाइटी के कर्मचारी के रूप में नही लगाया जाएगा ।
3. शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि सोसाइटी के नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट सम्बन्धी है।

(9) **सोसाइटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधन :** सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों या नाम का परिवर्तन या समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा । अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना उसे समय के भीतर महासचिव/सचिव द्वारा जिला रजिस्टार के कार्यालय में दायर की जायेगी तो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए ।

(10) **सोसाइटी की परिसम्पति तथा निधियों का प्रबन्धन :**

(क) सोसाइटी की आय के स्त्रोतों में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/परिसम्पति से किराया, ब्याज, परामर्श फीस, दान, उपहार, अनुदान इत्यादि के मदे प्राप्तियों शामिल होंगी सोसाइटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियां ले सकती है। ब्याज पर अनुसचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति के सृजन की खरीद के लिए लेगी तथा ना कि किन्हीं परिस्थितियों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी ।

(ख) शासकीय निकाय वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसाइटी के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा ।

(ग) सोसाइटी के बैंक लेखे ऐसे सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जांएगें जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाए । सोसाइटी किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक से खाता खुलवा सकती है।

(घ) सभी परिसम्पति तथा निधियां सोसाइटी से सम्बन्धित होंगी तथा सोसाइटी में निहित होंगी

(ड़) सोसाइटी की सभी प्राप्तियों तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम से किए जाएंगे (अर्थात डी डी/पे आर्डर/चैक/बैंक ट्रांसफर/आर टी जी एस) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस वार्षिक अंशदान की ओर सभी प्राप्तियां शामिल है। तथापि, शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमाएं अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों में नकद में की जा सकती है।

प्रधान　　　　महासचिव　　　　कोषाध्यक्ष

(11) सोसाइटी के लेखे :

(क) सोसाइटी का खजांची आय कर कानून तथा/या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात् रोकड़ बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमें सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसाइटी की परिसम्पति तथा दायित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है।

(ख) सोसाइटी की लेखा पुस्तकें सोसाइटी के महा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तथा किसी सदस्य द्वारा कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएंगी ।

(ग) सोसाइटी के वार्षिक लेखे सोसाइटी के किसी दो प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

(घ) शासकीय निकाय ऐसे पारिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सोसाइटी के लेखों की लेखापरीक्षा तथा आयकर विवरणी को दायर करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार को नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य नहीं होगा ।

(12) सामान्य मुद्रा : सोसाइटी के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महासचिव/सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार जहां कहीं यह अपेक्षित हो, लगाई जाएगी

(13) सोसाइटी का समामेलन : सोसाइटी स्वयं को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी में समामेलित कर सकती है या अधिनियम की धारा 51 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 25 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार इस निमित्त पारित विशेष संकल्प द्वारा स्वयं में समामेलित करने के लिए किसी अन्य सोसाइटी को अनुज्ञात कर सकती है।

(14) सोसाइटी का विघटन :

(क) सोसाइटी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार स्वंय का विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है यदि सोसाइटी की प्रक्रिया को चलाना कठिन हो जाता है, या वह दिवालिया हो जाता है या किसी अन्य दबाव तथा अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है।

(ख) सोसाइटी के विघटन की घटना में, सोसाइटी की कोई भी परिसम्पत्ति सोसाइटी के सदस्यों को नहीं मिलेगी ।

(ग) इसकी परिसम्पत्ति तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाएगी तथा छोड़ी गई सम्पत्तियां/परिसम्पत्तियां, यदि कोई हो, समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर को अन्तरण के लिए विचारी जाएगी ।

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

प्रधान | महासचिव | कोषाध्यक्ष

NOTARY
GOVT. OF INDIA
Sandeep Mittal
Regn. No. 4541
Area Rohtak

हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम तथा पते इसके नीचे अभिदत है, सोसाइटी को उप-विधियों की सही प्रति के रूप में उक्त को प्रमाणित करते है :

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	आयु	व्यवसाय	पद	हस्ताक्षर
1.	जयवीर	श्री राम कुंवार	गांव भंभेवा, जिला झज्जर	38	समाज सेवक	प्रधान	
2.	जसबीर	श्री राम कुंवार	गांव भंभेवा, जिला झज्जर	26	समाज सेवक	महासचिव	
3.	ममता	श्री जयबीर	गांव भंभेवा, जिला झज्जर	39	समाज सेवक	कोषाध्यक्ष	ममता
4.	सोनू कुमार	श्री सज्जन सिंह	गांव जहाजगढ़, जिला झज्जर	27	समाज सेवक	सदस्य	
5.	अनिल	श्री गोलू	1073, मैन गली, बारी बस्ती, जॉन्टी, दिल्ली	31	समाज सेवक	सदस्य	Anil
6.	अनिल	श्री महेन्द्र सिंह	गांव पहरावर, जिला रोहतक	39	समाज सेवक	सदस्य	
7.	दिलावर	श्री मदान सिंह	गांव जहाजगढ़, जिला झज्जर	26	समाज सेवक	सदस्य	

Certified that above byelaws were passed in the General Body Meeting dated **15.10.2022** and are inconfirmity with the provisions of Haryana Registration and Regulation of Society Act, 2012 and if any clause contravens the Act the same will be void abnitio.

NOTARY GOVT. OF INDIA Sandeep Mittal Regn No. 4541 Area Rohtak

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

प्रधान

महासचिव

ममता
कोषाध्यक्ष